न्यायालय/कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश

{ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के अधीन }

पत्रांक 388-83 / 519 /रा.आ.दि.ज./202

लखनऊ, दिनांक : 04/06/2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, लखनऊ।

विभागः- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-4275/2025 कु0 सीमा व अन्य बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-24 व 38 में निहित प्रावधानानुसार बौद्धिक दिव्यांगजन के केयरगिवर्स हेतु योजना एवं मापदण्ड तैयार किए जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-24 एवं धारा-38 (प्रतियां संलग्न) में निहित प्रावधानों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जोकि निम्नवत् हैः-

धारा-24. सामाजिक सुरक्षा - *(1) समुचित सरकार उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर उनके स्वतंत्र रूप से या समुदाय में रहने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक स्कीमें और कार्यक्रम बनाएगी:*

परंतु ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों के अधीन दिव्यांगजनों को सहायता का परिमाण अन्य व्यक्तियों के लिए लागू उन्हीं स्कीमों से कम से कम पच्चीस प्रतिशत अधिक होगा।

(2) समुचित सरकार, इन स्कीमों और कार्यक्रमों को बनाने के समय दिव्यांगता, लिंग, आयु और सामाजिक आर्थिक प्रास्थिति की विविधता पर सम्यक् विचार करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन स्कीमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध होंगे.-

(क) सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देख-देख और परामर्श के रूप में अच्छी जीवन परिस्थितियों सहित सामुदायिक केन्द्र,

(ख) ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके अंतर्गत दिव्यांग बालक भी हैं, जिनका कुटुंब नहीं है या जो परित्यक्त वा बिना आश्रम या जीवन निर्वाह के हैं, सुविधाएं,

(ग) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के दौरान और संघर्ष के क्षेत्र में सहायता,

(घ) दिव्यांग महिलाओं के जीवन निर्वाह के लिए और उनके बालकों के पालन-पोषण के लिए सहायता,

(ङ) सुरक्षित पेय जल और समुचित तथा पहुंच में स्वच्छता सुविधाएं विशेषतया नगरीय गंदी बस्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचः

(च) ऐसी आय की सीमा, जो अधिसूचित की जाए, के साथ दिव्यांग को निःशुल्क सहायता और साधित्र ओषधिषां और नैदानिक सेवाएं तथा सुधारात्मक शल्य-चिकित्सा उपलब्ध कराना,

(छ) ऐसी आय की सीमा, जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहते हुए दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता पेंशन;

SCAN AnyScanner

(ज) दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विशेष रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता, जिन्हें लाभपूर्ण व्यवसाय में नहीं रखा जा सका था,

(झ) उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए देख-देख प्रदाता भत्ता;

(ञ) ऐसे दिव्यांगजनों के लिए व्यापक बीमा स्कीम जो राज्य कर्मचारी बीमा स्कीम या किसी अन्य कानूनी या सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं,

(ट) कोई अन्य विषय जिसे समुचित सरकार ठीक समझे।

धारा-38. उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध (1) संदर्भित कोई दिव्यांगजन जो स्वयं उच्च सहायता की आवश्यकता समझता है या उसकी ओर से कोई व्यक्ति या संगठन, अधिक सहायता प्रदान प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध करते हुए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित होने वाले प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकारी, इसे ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्धारित बोर्ड को भेजेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(3) निर्धारण बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन इसे निर्दिष्ट किए गए मामले का ऐसी रीति में निर्धारण करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और अधिक सहायता की आवश्यकता और इसकी प्रकृति को प्रमाणित करके, अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर प्राधिकारी, रिपोर्ट के अनुसार और इस निमित्त समुचित सरकार की ससुंगत स्कीमों और आदेशों के अधीन सहायता प्रदान करने के लिए उपाय करेगा।

ध्यातव्य है कि उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-ए4275/2025 कु0 सीमा व अन्य बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गई है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजन के केयर गिवर्स हेतु उ0प्र0 राज्य में संचालित योजना/परियोजना के सम्बन्ध में भी पृच्छा की गई जिसके क्रम में निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या – सी295/दि0ज0स0वि0/विधि/2025-26 दिनांक 05-05-2025 से प्राप्त सूचना के आधार पर अवगत कराया गया है कि- *राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन हेतु केयर गीवर्स की नियुक्ति किए जाने सम्बन्धी कोई योजना नहीं है।*

उल्लेखनीय है कि उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजन के केयर गिवर्स हेतु संचालित योजना/परियोजनाओं के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अन्य राज्यों के राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन से भी परामर्श किया गया जिसमें गोवा राज्य तथा कर्नाटक राज्य द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर उनके राज्य में संचालित योजनाओं से सम्बन्धित प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं जोकि सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त के क्रम में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-24 व धारा-38 में निहित प्रावधानानुसार प्रश्नगत प्रकरण नीतिगत होने के दृष्टिगत आपको सादर अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उ0प्र0 राज्य में भी उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजन के केयर गिवर्स हेतु योजना/परियोजना/नीति बनाए जाने हेतु अपने स्तर से यथावश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः- यथोक्त।

(प्रो0 हिमांशु शेखर झा)
राज्य आयुक्त

o/c

पृष्ठांकन व दिनांक उपरोक्तानुसार //

1. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण पर अपने स्तर से यथावश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(प्रो0 हिमांशु शेखर झा)
राज्य आयुक्त

o/c